संख्या-1/2016/वे0आ0-2-1223/दस-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 01 जनवरी, 2016**

विषय- उर्दू अनुवादक संवर्ग के पदों का संवर्गीय ढॉचा लिपिकीय संवर्ग के समान निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्दू अनुवादक संवर्ग के पदों का संवर्गीय ढॉचा लिपिकीय संवर्ग के समान निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है:--

(1) उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ सहायक के पद की अनुमन्यता हेतु 15 वर्ष की सेवा के प्रतिबन्ध को यथावत् रखा जाय।

(2) उर्दू अनुवादक संवर्ग में तृतीय स्तर का पद उर्दू अनुवादक-सह-प्रधान सहायक उपलब्ध कराने हेतु 09 वर्ष की सेवा के स्थान पर 06 वर्ष की सेवा निर्धारित किया जाय। साथ ही इस पद हेतु 30 प्रतिशत के प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुए शत प्रतिशत पदों पर उक्तलाभ दिया जाय।

(3) कार्यात्मक आवश्यकता एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस संवर्ग में उर्दू अनुवादक-सह-प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड वेतन रु0 4600/- का पद दिये जाने का औचित्य नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त संस्तुतियों के अनुसार उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग का संवर्गीय ढाँचा निम्न तालिका के अनुसार होगा:--

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	भर्ती की विधि/अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/-	सीधी भर्ती-उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक की सेवा नियमावली, 1994 की व्यवस्था को पूर्ववत् बनाये रखा जाय।
2	उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/-	15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर इस प्रतिबन्ध के साथ पद सहित रू0 2800 के ग्रेड वेतन में उच्चीकृत किया जाय कि पद रिक्त होने पर रिक्तियॉ प्रथम स्तर की मानी जायेंगी।
3	उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक	वेतन बैण्ड-2 रु0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-	06 वर्ष की उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक के पद पर संतोषजनक सेवा पर इस प्रतिबन्ध के साथ पद सहित रू0 4200/- के ग्रेड वेतन में उच्चीकृत किया जाय कि पद रिक्त होने पर रिक्तियॉ प्रथम स्तर की मानी जायेंगी।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-1/2016/वे0आ0-2-1223(1)/दस-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in